

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाड़ा-2025

शिविर- डिडापच

प्रकरण संख्या- 104/2025

दिनांक- 30/6/2025

उमद्वाने

श्री सिधाराम पुत्र काना  
जाति मीना नि डिडापच

बनाम

सरकार जसिमे तहसीलदार  
चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर



:: आवेष्ट ::

प्रार्थी के खाला दुरुस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न दस्तावेज, पटवारी हल्का डिडापच..... भू. अ. नि. चावड़ेरा..... एवं तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट/अनुशांषा अनुसार राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम..... डिडापच..... 40 हठ डिडापच..... की वर्तमान स्थायी जमाबन्दी के खाता संख्या..... 393..... में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	अशुद्ध प्रविष्टि का प्रकार (नाम/पिता का नाम/जाति/ग्राम का नाम/रहन आदि)	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	शुद्ध प्रविष्टि, जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।
1	नाम	सिधाराम पुत्र महेपालाल जाति मीना	सिधाराम पुत्र काना जाति मीना

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी

चौथ का बरवाड़ा (सं. सं.)

प्रतिनिधी :-

1. तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर को भेजकर है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत करे।
2. प्रार्थी श्री सिधाराम पुत्र काना मीना
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी

चौथ का बरवाड़ा (सं. सं.)